2017 का विधेयक संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण।
4. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य।
5. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी।
6. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के कृत्य।
7. विभागीय नोडल अधिकारी।
8. राज्य पुनरीक्षण समिति।
9. राज्य पुनरीक्षण समिति की शक्तियाँ और कृत्य।
10. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष।
11. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की भूमिका और कृत्य।
12. मंजूरियां प्रदान करने के लिए प्रक्रिया।
13. समझी गई मंजूरियाँ।
14. मन्जूरियाँ प्रदान करने के लिए समयावधि।
15. राज्य एकल खिड़की वैब पोर्टल।
16. सामान्य आवेदन प्ररूप।
17. आवेदकों द्वारा स्वयं प्रमाणन।
18. सहमति–पत्र।
19. निरीक्षणों का सुव्यवस्थीकरण।
20. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
21. शास्तियाँ।
22. पुनरीक्षण।
23. गोपनीयता।
24. संक्रमणकालीन उपबंध।
25. अपीलें।
26. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।
27. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।
28. नियम बनाने की शक्ति।

हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राज्य में, औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने और औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए समयबद्ध मंजूरियों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा 25 के अधीन यथा सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''लागू विधियों'' से ऐसे अधिनियम, नियम या विनियम अभिप्रेत हैं, जो विहित किए जाएं;

(ग) ''आवेदक'' से किसी उद्यमी सहित ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या किसी विधिक अस्तित्व की ओर से इस प्रकार प्राधिकृत होने पर अपने औद्योगिक उपक्रम के स्थापन और उसमें उत्पादन को प्रारम्भ करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिए अपेक्षित मंजूरियों को प्रदान करने हेतु आवेदन करता है;

(घ) ''समुचित प्राधिकरण'' से सरकार का कोई विभाग या कोई अभिकरण अथवा कानूनी निकाय अभिप्रेत है जिसे राज्य में किसी उद्यम को स्थापित करने और प्रचालन प्रारम्भ करने के लिए मंजूरियां प्रदान करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं;

(ङ) ''मंजूरियों'' से राज्य में किसी उद्यम को स्थापित करने और उसके पश्चात्वर्ती प्रचालन के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकरण या विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमत्तियां, अनुमोदन, अनुज्ञाएं, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्तियां, रियायतें और सदृश प्रदान करना या जारी करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी समस्त अनुज्ञाएं सम्मिलित होंगी जो किसी भी लागू विधि के अधीन अपेक्षित हैं;

(च) ''सामान्य आवेदन प्ररूप'' से ऑनलाइन राज्य एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से मंजूरियों के लिए आवेदन करने हेतु विहित ई–आवेदन प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से समुचित प्राधिकरण का सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे ऐसी उन समस्त अपेक्षित और सदृश मंजूरियों को प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी अधिसूचित किया गया है जो राज्य में किसी उद्योग को स्थापित करने और उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए उस प्राधिकरण (अथॉरिटी) से प्राप्त की जानी अपेक्षित है;

(ज) ''विभाग'' से राज्य सरकार का कोई विभाग अभिप्रेत है;

(झ) ''विभागीय नोडल प्राधिकारी'' से, सम्बद्ध समुचित प्राधिकरण का, इस अधिनियम के अधीन आवेदक को या राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को विशिष्टतया ऐसे प्राधिकरण की मंजूरियों, विनिश्चय को प्राप्त करने, उसमें प्रक्रिया अपनाने और संसूचित करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में इस प्रकार पदाभिहित और अधिसूचित, कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) ''निदेशक'' से निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ट) ''ई–आवेदन'' से ऑन लाइन राज्य एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामान्य आवेदन अभिप्रेत है;

(ठ) ''सरकार या राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ड) ''औद्योगिक नीति'' से केन्द्रीय सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति या स्कीमें अभिप्रेत हैं, जो औद्योगिक संवर्धन, विनियमन या प्रबन्धन के लिए समय–समय पर लागू और अधिसूचित की जाएं;

(ढ) ''औद्योगिक उपक्रम'' से विनिर्माण या प्रसंस्करण या दोनों में लगा या सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक कार्यकलाप करने की सेवा प्रदान करने वाला कोई उपक्रम अभिप्रेत है;

(ण) ''अधिसूचना'' से राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(त) ''अधिसूचित समयावधि'' से निर्दिष्ट मंजूरियों को प्रदान करने के लिए यथाविहित समयावधि अभिप्रेत है;

(थ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(द) ''राज्य विनिधान संवर्धन और सरलीकरण कक्ष'' से इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित ई–आवेदनों को प्राप्त करने, उसके लिए प्रक्रिया अपनाने और उस पर विनिश्चय करने के लिए उद्योग विभाग के अधीन संचालित कक्ष अभिप्रेत है;

(ध) ''राज्य पुनरीक्षण समिति'' से इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन यथा गठित समिति अभिप्रेत है;

(न) ''राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण'' से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन यथा गठित राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(प) ''राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी'' से, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है; और

(फ) ''राज्य एकल खिड़की पोर्टल या वैब पोर्टल'' से इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन स्थापित वैब पोर्टल अभिप्रेत है।

राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण।

3. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित से गठित राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण का गठन करेगी, अर्थात् :—

(क) मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष;
(ख) उद्योग मंत्री, हिमाचल प्रदेश	उपाध्यक्ष;
(ग) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य;
(घ) सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य;
(ङ) सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य;
(च) सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य;
(छ) सचिव (श्रम), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य;
(ज) सचिव (नगर एवं ग्राम योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य;
(झ) सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य;
(ञ) सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य;
(ट) निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश	सदस्य सचिव।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के गठन में परिवर्तन कर सकेगी।

राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य।

4. (1) औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों का विस्तार करने के लिए दस करोड़ रूपए से अधिक के समस्त विनिधान प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन के लिए राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के समक्ष रखे जाएंगे।

(2) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण राज्य पुनरीक्षण समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को भी ग्रहण कर सकेगा।

(3) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण का सदस्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा और यदि ऐसा सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो वह बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को, बैठक में समुचित विनिश्चय लेने के लिखित प्राधिकार सहित, प्रतिनियुक्त करेगा।

(4) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा जैसा प्राधिकरण का अध्यक्ष विनिश्चित करे।

(5) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण विधि के उपबन्धों के अधीन, विभाग की टिप्पणियाँ, यदि कोई है, पर विचार करने के पश्चात् मन्जूरी प्रदान करने, विशेष रियायतें देने, छूट देने या शिथिलिकरण करने के लिए आवेदनों की जांच करेगा और सरकार को संस्तुतियाँ करेगा।

(6) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिए सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन प्रदान कर सकेगा।

(7) आवेदक (आवेदकों) के विनिर्दिष्ट अनुरोध पर, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण, राज्य के हित, नए या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के लिए (पॉलिसी) के उपबन्धों से अधिक विशेष वित्तीय प्रोत्साहन या पैकेज देने के लिए राज्य सरकार को संस्तुतियाँ भी कर सकेगा।

(8) उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन अनुमोदन या संस्तुतियों के पश्चात् समुचित प्राधिकारी, आवेदक द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर, विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् अपेक्षित मन्जूरियाँ प्रदान करेगा।

(9) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या तो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य की ओर से अभ्यावेदन की प्राप्ति पर अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी।

5. निदेशक उद्योग, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी होगा। सरकार ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) को, जो उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो/हों इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी की सहायता करने के लिए भी नियुक्त कर सकेगी। राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी और इस धारा के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी विनिधान, संवर्धन कार्यकलापों का भी जिम्मा लेगें और राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे।

राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के कृत्य।

6. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य निम्न होंगे :—

(क) ई—आवेदन को प्राप्त करना और उसे सम्बद्ध विभाग के विभागीय नोडल अधिकारी को टिप्पणी के लिए अग्रेषित करना;

(ख) दस करोड़ रुपए से अधिक के समस्त प्रस्तावों को राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के समक्ष विनिश्चय के लिए रखना;

(ग) विहित प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित मन्जूरियाँ अभिप्राप्त करने के लिए समस्त विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करना;

(घ) राज्य में औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) को स्थापित करने के लिए आवेदकों को समस्त आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना;

(ङ) राज्य में विनिधानों के संवर्धन और अन्य सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए समस्त प्रयासों का समन्वय करना;

(च) औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) को जारी किए जाने हेतु अपेक्षित समस्त दस्तावेजों, अनुमोदनों, मंजूरियों, अनुदानों या अनुदेशों को हस्ताक्षरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(छ) विभिन्न परियोजनाओं में विनिधानों का अनुश्रवण (मॉनिटर) करना, जिनके लिए, यथास्थिति, विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य पुनरीक्षण समिति या राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है;

(ज) मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टें तैयार करना और उन्हें राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य सरकार को प्रस्तुत करना; और

(झ) यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का पालन करना।

विभागीय नोडल अधिकारी।

7. (1) प्रत्येक विभाग का सचिव, विभागीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो सम्बन्ध विभाग से उनकी अपनी--अपनी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित मन्जूरी प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(2) विभागीय नोडल अधिकारी मन्जूरी (मन्जूरियां) प्रदान करने के लिए राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के लिए एकमात्र सम्पर्क सूत्र होगा।

(3) विभागीय नोडल अधिकारी लम्बित मंजूरी (मन्जूरियों) की बाबत अपने--अपने विभाग के फील्ड अधिकारियों के साथ समन्वय और अनुवर्तन करेगा

और समयावधि के भीतर उसके विभाग द्वारा मंजूरी (मंजूरियाँ) प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विभागीय नोडल अधिकारी, उद्योग विभाग के राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के सम्पूर्ण पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेगा जिसे भागतः उनकी वार्षिक अनुपालना आंकन रिपोर्ट का सूत्रपात (इनिशीयेट) करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा।

राज्य पुनरीक्षण समिति।

8. (1) राज्य पुनरीक्षण समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा, अर्थात् :—

(क) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी,	अध्यक्ष;
(ख) विभागीय नोडल अधिकारी, आबकारी एवं कराधान विभाग	सदस्य;
(ग) विभागीय नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित	सदस्य;
(घ) विभागीय नोडल अधिकारी, श्रम विभाग	सदस्य;
(ङ) विभागीय नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	सदस्य;
(च) विभागीय नोडल अधिकारी, उद्यान विभाग	सदस्य;
(छ) विभागीय नोडल अधिकारी, नगर एवं ग्राम योजना विभाग	सदस्य;
(ज) विभागीय नोडल अधिकारी, वन विभाग	सदस्य;
(झ) विभागीय नोडल अधिकारी, सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	सदस्य; और
(ञ) विभागीय नोडल अधिकारी, उद्योग विभाग	सदस्य सचिव।

(2) समिति, अपने कृत्य के समुचित और प्रभावी निर्वहन के लिए किसी वृत्तिक को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी, यदि ऐसा करना अपेक्षित हो।

(3) समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से बैठक में उपस्थित होंगे।

(4) समिति की बैठक को आयोजित करने के लिए सदस्यों की आधी संख्या गणपूर्ति हेतु अपेक्षित होगी।

(5) समिति, ऐसे स्थान पर, जैसा अध्यक्ष विनिश्चय करे, कम से कम तीस दिन में एक बार बैठक कर सकेगी।

(6) समिति के सदस्य विनिधान अभ्यावेदनों को, जिनमें उनके अपने–अपने विभागों से मंजूरियां अपेक्षित हैं, लेंगे और, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनरीक्षण समिति द्वारा विहित समयावधियों या विनिर्दिष्ट लघुत्तर समयावधियों का पालन करेंगे।

(7) समिति द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन समस्त सम्बद्ध विभागों पर आबद्धकर होगा।

(8) समिति, राज्य में औद्योगिकीकरण के संवर्धन और राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने की वाँछा रखने वाले आवेदकों के उत्थान में उनकी सहायता करने के लिए विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में वृत्तिक(कों) और परामर्शदाता(ओं) की सेवाएं भाड़े पर ले सकेगी।

राज्य पुनरीक्षण समिति की शक्तियाँ और कृत्य।

9. राज्य पुनरीक्षण समिति की शक्तियाँ और कृत्य निम्न होंगे:–

(क) औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना और उनका विस्तार करने के लिए आवेदक (आवेदकों) से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करना, उन पर विचार करना और उनके लिए प्रक्रिया अपनाना;

(ख) ई–आवेदनों पर, यथास्थिति, अपेक्षित मन्जूरियाँ या टिप्पणियाँ देना सुकर बनाना;

(ग) समस्त अनुमोदित ई–आवेदनों या परियोजनाओं को जब तक कि परियोजना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं कर देती है या तत्पश्चात् परियोजना की कालावधि के दौरान, उसके और उत्थान के लिए, विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष को अग्रेषित करना;

(घ) अपेक्षित मन्जूरी (मन्जूरियाँ) प्रदान करने की प्रगति, स्वीकृत परियोजनाओं की प्रास्थिति, उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों, ऑनलाइन एकल खिड़की वैब पोर्टल और राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के कार्य का अनुश्रवण और पुनर्विलोकन करना;

(ङ) अननुमोदित ई–आवेदनों को राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष को उत्थान और मार्गदर्शन के लिए अग्रेषित करना;

(च) राज्य में कारबार करने को सुकर बनाने के लिए यथा विहित समयावधि (समयावधियों) में संशोधन करने के लिए संस्तुति करना;

(छ) राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण को अपीलों के प्रस्तुतीकरण का अनुश्रवण करना और इसके निदेशों को कार्यान्वित करना;

(ज) राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण को अर्धवार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट को प्रस्तुत करना; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करना जो राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं।

राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष।

10. (1) सरकार, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य पुनरीक्षण समिति को सचिवीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए उद्योग निदेशालय में एक राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की स्थापना करेगी। यह कक्ष आवेदकों या उदीयमान उद्यमकर्ताओं और नए तथा विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के उत्थान के लिए और उनकी सहायता करने के लिए, औद्योगिक विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण सहायता केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा।

(2) उद्योग विभाग के अधिकारी, जिला और स्थानीय स्तर पर राज्य में सामान्य आवेदन–प्ररूप के माध्यम से प्राप्त समस्त विनिधान प्रस्तावों का निपटारा करने के लिए राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के स्थानीय सम्पर्क सूत्र (लोकल नोड्ज) के रूप में कार्य करेंगे। कक्ष, सम्पूर्ण राज्य में राज्य व्यापक हब और स्पोक संरचना स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ कार्य करेगा, जो उनके साथ सामूहिक रूप से कारबार समुत्थानों की समस्याओं और विवाद्यकों का समाधान करेगा।

(3) विभागीय नोडल अधिकारी, राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के भी अधिकारी होंगे।

राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की भूमिका और कृत्य।

11. (1) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष ई–आवेदन प्राप्त करने और इस अधिनियम में अधिकथित पद्धति के अनुसार उनके लिए पश्चात्‌वर्ती प्रक्रिया अपनाने (प्रोसेसिंग) के लिए उत्तरदायी होगा तथा प्रस्तावों को, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनरीक्षण समिति के पास ले जाएगा।

(2) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, किसी विशेषज्ञ परियोजना के अनुमोदन, अनुश्रवण और कार्यान्वयन समूह के रूप में कार्य करेगा जो आवेदकों और सरकारी विभागों के मध्य नए विनिधान प्रस्ताव (प्रस्तावों) को सुकर बनाने के लिए, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, आवेदक को, समयबद्ध रीति में सम्बद्ध विभागों से अपेक्षित मंजूरियां अभिप्राप्त करने के लिए एक अन्तरानीक एकल केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

(3) यह (कक्ष) सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी या कक्ष में प्रतिनियुक्त समुचित प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आधार स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए समन्वय करेगा।

(4) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, औद्योगिक उपक्रमों को उनकी सम्पूर्ण कालावधि के दौरान किसी भी कृत्यकारी कठिनाई को सुलझाने के लिए मागदर्शित सहायता भी प्रदान करेगा।

(5) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, उद्यमकर्ताओं की सहायता के लिए और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक हैल्पलाइन नम्बर और शिकायत प्रतितोषण तंत्र की स्थापना कर सकेगा और उसका अनुरक्षण भी करेगा।

(6) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, प्रोत्साहन पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करेगा और अनुज्ञेय प्रोत्साहनों, रियायतों और प्रसुविधाओं तथा उनकी मंजूरी के लिए आवेदन करने में आवेदकों की सहायता करेगा।

(7) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य में औद्योगिक उपक्रमों की कृत्यशीलता या स्थापित की गई परियोजनाओं का अनुरक्षण करेगा और राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य पुनरीक्षण समिति को अर्ध–वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, भूमि बैंकों, राज्य पॉलिसियों और प्रोत्साहनों आदि की बावत संभावी विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को सुसंगत ऑनलाइन सेक्टोरियल सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक एकीकृत वैब पोर्टल बनाए रखेगा।

(9) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य, देश या विदेश में विनिधान के संवर्धन के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, विनिधान, संवर्धन कार्यकलापों का आयोजन कर सकेगा।

(10) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष आवश्यकता के आधार पर, जो इसके कृत्यों की अनुपालना के लिए अपेक्षित हैं, परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकेगा।

(11) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष उसे, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपी गई समस्त या किन्हीं विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा या कृत्यों का निर्वहन करेगा।

12. किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए मंजूरियां प्रदान करने हेतु आवेदकों और समस्त विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :— मंजूरियां प्रदान करने के लिए प्रक्रिया।

(क) समस्त आवेदक ई–आवदेन के माध्यम से आवेदन करेंगे;

(ख) समस्त ई–आवेदनों को स्वचलित प्रणाली द्वारा सन्दर्भ संख्या दी जाएगी जिसका उपयोग आवेदकों द्वारा आवेदन (आवेदनों) की प्रास्थिति की ऑनलाइन जांच करने के लिए किया जा सकेगा;

(ग) आवेदक (आवेदकों) को आवेदन की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर अल्पसंदेश सेवा (एस एम एस) या ई–मेल या दोनों के माध्यम से सूचित किया जाएगा;

(घ) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार से सम्पूर्ण ई–आवेदनों का प्रारम्भ में राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में परीक्षण किया जाएगा;

(ङ) ई–आवेदनों को तत्पश्चात् सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकली अग्रेषित किया जाएगा;

(च) विभागीय नोड़ल अधिकारी वैब पोर्टल के माध्यम से ई–आवेदन का अभिगमन (ऐक्सस) करेगा जिसका सम्पर्क उस तक राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा;

(छ) समुचित प्राधिकारी अपेक्षित मंजूरियों को प्रदान करने के लिए प्रक्रिया भी अधिसूचित करेगा और उसे अपनी–अपनी विभागीय वैबसाइट पर प्रकाशित करवाएगा;

(ज) विभागीय नोड़ल अधिकारी अपने विभाग में कार्य कर सकेगा या राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। वह ऐसे कर्मचारियों की सहायता ले सकेगा जो उसके पैतृक विभाग द्वारा उसे उपलब्ध करवाए जाएं;

(झ) विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदनों या सम्प्रेक्षणों, यदि कोई हों, को राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा और आवेदकों को भी अभिगम्य होंगे;

(ञ) आवेदक, संप्रेक्षणों की दशा में, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को अपना उत्तर भेजेंगे जो उसे सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा। विभाग के समस्त सम्प्रेक्षण विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एक ही बार में सूचित किए जाएंगे। कोई पश्चात्वर्ती स्पष्टीकरण, यदि अत्यावश्यक पाया जाता है/जाते हैं, तो उसे/उन्हें अभिप्राप्त किया जाएगा/किए जाएंगे और सात कार्य दिवसों के भीतर उसे/उन्हें निपटाया जाएगा और उस/उन पर अंतिम विनिश्चय राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर सूचित किया जाएगा;

(ट) मन्जूरी के लिए प्रक्रिया अपनाते समय और उसे प्रदान करते समय समुचित प्राधिकारी आवेदक (आवेदकों) से कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा :

परन्तु ऐसी अतिरिक्त सूचना समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसी मन्जूरी को प्रदान करने के लिए विहित अवधि के भीतर मांगी जा सकेगी और कोई अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही मांगी जा सकेगी;

(ठ) यदि मंजूरी (मंजूरियों) के लिए कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गई है तो ई–आवेदन नियत अवधि, जिसकी गणना अतिरिक्त सूचना को प्राप्त करने की तारीख से होगी, के भीतर निपटाया जाएगा;

(ड) आवेदनों को अतिशीघ्र निपटाया जाएगा और किन्हीं भी परिस्थितियों में ऐसी अवधि, जैसी विहित की जाए, के अपश्चात् नहीं;

(ढ) विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा ई–आवेदन की अस्वीकृति की दशा में, उसे राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को अस्वीकृति के विस्तृत कारणों को दर्शाते हुए, नियत समय अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा;

(ण) आवेदक (आवेदकों) को अनुमोदन, विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली सूचित किया जाएगा और सम्यक् रूप से इलेक्ट्रॉनिकली या उस द्वारा हस्ताक्षरित मन्जूरी पत्र को सूचनार्थ और डाउनलोड करने के लिए वैब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा;

(त) मन्जूरी (मन्जूरियों) के सत्यापन के लिए वैब पोर्टल पर व्यवस्था भी की जाएगी; और

(थ) आवेदक, समस्त अपेक्षित मन्जूरियों के लिए ऐसा संदाय करने के लिए दायी होगा/होंगे, जैसा विहित किया जाए।

समझी गई मन्जूरियां।

13. (1) यदि विभागीय नोडल अधिकारी या समुचित प्राधिकारी राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष द्वारा विहित समयावधि के भीतर, अग्रेषित किए गए ई–आवेदन का उत्तर (प्रतिक्रिया) नहीं देता है तो आवेदक द्वारा आवेदित अपेक्षित मन्जूरी (मन्जूरियां) प्रदान की गई समझी जाएंगी और उस पर कोई और आक्षेप नहीं किया जाएगा:

परन्तु मन्जूरियां प्रदान करने के लिए तकनीकी रूप से सही पाए गए ई–आवेदन ही मन्जूरी (मन्जूरियों) के लिए सही समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन मन्जूरी प्रमाण–पत्र सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा, विहित फीस की प्राप्ति के पश्चात् आवेदक को जारी किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन समझी गई मन्जूरी को प्रदान करना सम्बन्धित विभागों को आबद्धकर होगा और उसे वैब पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

मन्जूरियां प्रदान करने के लिए समयावधि।

14. (1) समस्त नए प्रस्ताव या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्रस्ताव जिनके लिए किसी एक या अधिक लागू विधियों के अधीन मन्जूरी की आवश्यकता है, इस अधिनियम के अधीन सरलीकरण के लिए पात्र होंगे।

(2) विभागीय नोडल अधिकारी, समस्त मंजूरियों के लिए, ऐसे ई–आवेदनों का, जब कभी उसे प्राप्त हों, ऐसी समय अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, प्रक्रमण (प्रोसेस) करेगा।

राज्य एकल खिड़की वैब पोर्टल।

15. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष राज्य में, यथा लागू विभिन्न विधियों के अधीन ई–आवेदन दाखिल करने के लिए, मंजूरियां प्रदान करने के लिए और औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए वैब पोर्टल बनाएगा और संचालित करेगा। राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी प्रशासक के रूप में पोर्टल को चलाएगा। पोर्टल के सम्पर्क सूत्र (नोडज़) समस्त समुचित प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उन्हें अपने–अपने कार्यालय से पोर्टल तक पहुंच के लिए समर्थ बनाया जा सके।

सामान्य आवेदन प्ररुप।

16. (1) विभिन्न विधियों के अधीन प्रयुक्त किए जा रहे विद्यमान विविध प्ररुपों के स्थान पर सामान्य आवेदन प्ररुप का प्रयोग, ई–आवेदन दाखिल करने के लिए, विहित फीस सहित किया जाएगा। समस्त सम्बद्ध समुचित प्राधिकारी ऐसे ई–आवेदन(नों) के प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) के लिए और अपेक्षित मंजूरी (मंजूरियां) प्रदान करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे।

(2) सामान्य आवेदन प्ररुप ऐसे आरूप में होगा, जैसा विहित किया जाए।

आवेदकों द्वारा स्वयं प्रमाणन।

17. (1) प्रत्येक आवेदक, लागू विधियों के उपबन्धों की अनुपालना के लिए, ई–आवेदन प्रस्तुत करते समय, विहित प्ररुप में स्वयं प्रमाणन सहित, अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार आवेदक(कों) द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वयं प्रमाणन, समुचित प्राधिकारी द्वारा, मंजूरी देने और आवेदक/आवेदकों को अन्य प्रसुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

सहमति–पत्र।

18. (1) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की वांछा रखने वाले आवेदक के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित कर सकेगा, यदि ऐसा, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(2) सहमति–पत्र, ऐसे आरूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।

19. राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी समुचित प्राधिकारी को, पैनल में रखे तृतीय पक्षकार निरीक्षकों के माध्यम से, निरीक्षण संचालित करने के निर्देश दे सकेगा या संयुक्त निरीक्षण संचालित करवा सकेगा, जो लागू विधियों के उपबन्धों के अधीन किया जाना अपेक्षित हैं। तथापि विशिष्ट शिकायतों पर निरीक्षण समुचित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। निरीक्षणों का सुव्यवस्थीकरण।

20. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य पर या सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

21. (1) कोई आवेदक जो मिथ्या सूचना देता है या, यथास्थिति, वैब पोर्टल या किसी समुचित प्राधिकारी को दिए स्वयं प्रमाणन में शर्तों या वचन का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उस पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो प्रथम अपराध के लिए पंद्रह हजार रुपए और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध (अपराधों) के लिए पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी। शास्तियां।

(2) निदेशक, उद्योग विभाग उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा :

परन्तु शास्ति का कोई भी आदेश सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(3) निदेशक, उद्योग विभाग उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश को सम्बद्ध आवेदक को संसूचित करेगा। आवेदक को, शास्ति की ऐसी रकम को आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के पास जमा करनी होगी।

(4) विहित समय–सूची के अनुसार मंजूरियों के लिए मामले के प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) में अनावश्यक विलम्ब की दशा में सम्बद्ध अधिकारी के विरूद्ध लागू सेवा आचरण नियमों के अधीन सम्बद्ध अनुशासन प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

पुनरीक्षण।

22. (1) किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इसे किए गए आवेदन पर किसी सक्षम प्राधिकारी या राज्य प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के समक्ष लम्बित किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को मंगवा सकेगी और कार्यवाहियों के औचित्य या इसमें पारित आदेशों का, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करेगी कि आदेश न तो लोक नीति के विरूद्ध और न ही विधि के उपबन्धों के विरूद्ध है और अनुज्ञा हेतु आवेदन की अस्वीकृति की दशा में इस प्रकार पुनरीक्षित आदेशों को जारी करने के एक वर्ष के भीतर और अनुज्ञा प्रदान करने की दशा में तीन मास के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा यह उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और समस्त सम्बधित पर आबद्धकर होगा।

गोपनीयता।

23. सरकार का कोई भी अभिकरण या प्राधिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण और उसके अधीन कोई कृत्यकारी किसी अन्य आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति को, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो, विनिधानकर्ता की बौद्धिक संपदा के भागरूप कोई सूचना ऐसे विनिधानकर्ता की सहमति के बिना प्रकट नहीं करेगा :

परन्तु राज्य में किए गए विनिधान के निबंधनों और शर्तों की बाबत समस्त सूचना और सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिधानकर्ता को उपलब्ध करवाई गई प्रसुविधाएं, यदि कोई हैं, सरकार द्वारा लोक सूचना हेतु अधिसूचित की जाएंगी।

संक्रमणकालीन उपबंध।

24. इस अधिनियम के उपबंध उन समस्त विनिधान प्रस्तावों को लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या समुचित प्राधिकारी के पास विचाराधीन हैं, यदि सम्बधित विनिधानकर्ता ई–आवेदन प्रस्तुत कर इस प्रकार का विकल्प देता है।

अपीलें।

25. कोई भी आवेदक जो–

(क) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या विभागीय नोडल अधिकारी या राज्य पुनर्विलोकन समिति के आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी को अपील कर सकेगा; और

(ख) राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

26. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे :

परन्तु लागू विधियों के अधीन जुर्माना, शास्ति या शुल्क आदि, यदि कोई है, ऐसी लागू विधियों के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

27. (1) यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों; जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के असंगत न हो, बना सकेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इस के किए जाने के यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

28. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम इनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब यह पन्द्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि उस सत्र, जिसमें ये इस प्रकार रखे गए हैं या सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियमों में कोई उपांतरण करती है या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो ऐसे नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से तद्धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में कारबार संचालन को सुगम बनाने के लिए विनियामक संरचना को सरलीकृत करते हुए, औद्योगिक विकास के संवर्धन को प्रोत्साहित करने और नए विनिधानों को सुकर बनाने तथा विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षणों का युक्तिकरण करने के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए एकल अधिकरण द्वारा और के माध्यम से त्वरित और समयबद्ध रीति में समस्त अपेक्षित मंजूरियों और अनुमोदनों के लिए तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करना समीचीन समझा गया है। उक्त प्रयोजनों के लिए राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण, राज्य पुनर्विलोकन समिति और राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष स्थापित करना भी समीचीन समझा गया है। प्रस्तावित विधान, एकल खिड़की के माध्यम से तथा एक समयबद्ध रीति में मंजूरियां प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए उपबन्ध करता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

मुकेश अग्निहोत्री

(मुकेश अग्निहोत्री)
प्रभारी मन्त्री।
Industries, LEP, I&PR & Parl. Affairs
Minister, Himachal Pradesh.

शिमला :

तारीख : ...., 2017.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित होने पर सरकारी तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे और राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। इसलिए, राज्य सरकार पर कोई भी वित्तीय दायित्व नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 28 राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरुप का है।

हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017

राज्य में, औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने और औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए समयबद्ध मंजूरियों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

मुकेश अग्निहोत्री

(मुकेश अग्निहोत्री)
प्रभारी मन्त्री।

Industries, LEP, I&PR & Parl. Affairs
Minister, Himachal Pradesh.

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख : ...., 2017.